UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADUR SHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI – 110 002

F.5-10/83 (CPP-I) 16th January, 2001

OFFICE MEMORANDUM

A statutory University namely Bundelkand University, Jhansi, was established by the State Government of Uttar Pradesh under Uttar Pradesh University Act, 1973, in August, 1975. The name of the said University has already been included in the list of Universities maintained by the Commission under Section 2(f) of the UGC Act, 1956.

The said University is hereby, declared fit to receive central assistance in terms of Rules framed under Section 12-B of the UGC Act, 1956.

(Dr.(Mrs) Naseem Bhatia)
Joint Secretary

Copy to :-

1. The Vice Chancellor, Bundelkhand University, Jhansi (U.P.)
2. Secretary to the Govt. of India, Ministry of Human Resource Development, Deptt. of Higher and Secondary Education, Shastri Bhawan, New Delhi- 110 001.
3. Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Deptt. of Higher Education, Lucknow (U.P.)
4. Secretary General, Association of Indian Universities (AIU), 16 Kotla Marg, New Delhi – 110 002.
5. D.S. (CPP-II) UGC, New Delhi.
6. D.S.(SU), UGC, New Delhi.
7. SSO, UGC, 35 Feroze Shah Road, New Delhi.
8. J.S.(Meeting), UGC, New Delhi.
9. S.O. (Meeting), UGC, New Delhi.
10. All Regional Offices, UGC.
11. DTP Cell, UGC, New Delhi.
12. All Sections, UGC, New Delhi.
13. Guard File.

(D.D. Mehta)
Under Secretary

श्रीमती) उर्मिला देवी
संयुक्त सचिव
Dr. (Mrs.) Urmila Devi
Joint Secretary

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
दूरभाष Phone : कार्यालय Off : 011-23238865
फैक्स Fax : 011-23210548, e-mail : urmila.ugc@nic.in

मिसिल संख्या : 15-5/2014 (राजभाषा) दिसम्बर, 2014

सेवा में,

कुलसचिव
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,
झाँसी-284128 (उत्तर प्रदेश)

16 DEC 2014

विषयः 12वीं योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त केन्द्रीय/राज्य/मानित विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग की स्थापना करने हेतु अनुमोदन।

महोदय/महोदया

उपर्युक्त विषय से संबंधित आपका प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। समिति की अनुशंसा के आधार पर आयोग ने आपके विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग की स्थापना हेतु निम्न विवरण अनुसार स्वीकृति प्रदान की है:

क्र. सं.	मद	आयोग द्वारा स्वीकृत पद एवं राशि	
1.	प्रोफेसर	1	(वेतन नियमानुसार वास्तविक)
2.	ऐसोसियेट प्रोफेसर	2	
3.	असिस्टेंट प्रोफेसर	4	
	अनावर्ती व्यय		
4.	भवन निर्माण	₹1,00,00,000/-	
5.	उपकरण	₹5,00,000/-	
	आवर्ती व्यय प्रतिवर्ष		
6.	पुस्तकें एवं पत्र, पत्रिकायें	₹50,000/-	
7.	गोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशाला	₹1,00,000/-	
8.	आकस्मिक व्यय	₹40,000/-	
	योग	₹1,06,90,000/-	

उपरोक्त सहायता इस अनुमोदन पत्र के जारी करने की तिथि से 31.03.2017 की अवधि तक मान्य होगी। उपर्युक्त अनुदान के लिये नियम व शर्तें वही हैं जिन्हें 12वीं योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के विकास कार्यक्रमों को अनुदान दिए जाने के लिए निर्धारित किया गया है।

केन्द्रीय/राज्य/मानित विश्वविद्यालय, भवन निर्माण के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दिशा निर्देश के अनुसार ही प्रस्ताव भेजें।

विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण के लिए स्वीकृत पदों के सन्दर्भ में आयोग को आश्वासन/एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आयोग द्वारा अनुमोदित वित्तीय सहायता की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी उक्त अनुमोदित पदों को राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा जारी रखा जाएगा। यह प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही अनुमोदित पदों के लिए आयोग द्वारा देय अनुदान जारी किया जाएगा।

विश्वविद्यालय संघ सरकार की राजभाषा नीति अर्थात् राजभाषा अधिनियम 1963, जो कि नियम 1976 के संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए है, का अनुपालन करेगा।

15 DEC 2014

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अ0जा0/अ0ज0जा0 के छात्रों व प्राध्यापकों से संबंधित भारत सरकार की नीतियों को पूर्ण रूप से लागू करेगा। गैर-अध्यापन कर्मचारियों के संबंध में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के मामलों में केन्द्र सरकार की नीति तथा राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध में राज्य सरकार की नीतियों का अनुपालन करेगा ।

यदि पदों पर नियुक्ति इस योजना की समाप्ति से पहले नहीं की जाती है तो अनुमोदति पदों को निरस्त मान लिया जाएगा।

स्वीकृत शैक्षणिक पदों की भर्ती/नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार की जाए और निम्नलिखित दस्तावेज आयोग को प्रेषित किए जाएं:

1. विज्ञापन की प्रतिलिपि
2. चयन समिति की अनुशंशा
3 चयनित उम्मीदवार का बायो डाटा
4. कार्यग्रहण सूचना
5. मूलवेतन और अन्य भत्ते आदि

अनुदान राशि जारी करने हेतु विश्वविद्यालय बैंक से सम्बन्धित निम्न विवरण शीघ्रताशीघ्र rajbhasha.ugc@gmail.com पर उपलब्ध कराएः

(क)	बैंक का नाम एवं शाखा का पता
(ख)	खाता संख्या
(ग)	खाते का स्वरुप- बचत/चालू/नकद साख
(घ)	आई.एफ.एस.सी. शाखा का कोड
(ङ)	एम.आई.सी.आर. शाखा का कोड
(च)	क्या बैंक खाता RTGS/NEFT सहायता प्राप्त है, RTGS/NEFT अथवा दोनों
(छ)	खाताधारी का नाम व पता

विश्वविद्यालय पत्र में दी गई शर्तो की मंजूरी के संदर्भ में कृपया अपनी स्वीकृति शीघ्र ही प्रेषित करें, जिसके आधार पर आयोग द्वारा अनुदान की देय राशि यथास्थिति निर्गत की जाएगी।

भवदीया,

(डॉ0 उर्मिला देवी)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए :

1. केन्द्रीय/मानित/राज्य विश्वविद्यालय अनुभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
2. सुरक्षित मिसिल

कार्यालय प्रति
15/12/2014

(अतर सिंह)
अनुभाग अधिकारी

ISSUED

-11-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफ़र मार्ग
नई दिल्ली-110 002

22 JUN 2015

अनुभाग का नामः- राजभाषा

सहायता अनुदान बिल

1.	लाभार्थी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान का नाम	कुलसचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी-284128 (उत्तर प्रदेश)
2.	स्वीकृत पत्र सं. एवं तिथि	मि0सं0 15-5/2014(राजभाषा) जून, 2015 एफ.डी. डायरी नं.4370 एवं तिथि28.05.2015
3.	स्वीकृत राशि	(क) स्वीकृत राशि : रु 1,90,000/- (ख) समायोजित राशि : शून्य (ग) कुल जारी राशि : रु 1,90,000/- (रुपये एक लाख नव्वे हजार मात्र)
4.	सहायता अनुदान का उद्देश्य	हिन्दी विभाग की स्थापना
5.	खाता शीर्ष	3(A) (2202.03.102.10.01).31(18)
6.	प्राधिकृत अधिकारी	कुलसचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी-284128 (उत्तर प्रदेश)
7.	भुगतान का विवरण	
(क)	बैंक का नाम एवं शाखा का पता	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, कानपुर रोड, झाँसी-284128
(ख)	खाता संख्या	10651533068
(ग)	खाते का स्वरूप-बचत/चालू/नकद साख	चालू खाता
(घ)	आई.एफ.एस.सी. शाखा का कोड	SBIN0003808
(ङ.)	एम.आई.सी.आर शाखा का कोड	284002007
(च)	क्या बैंक शाखा RTGS/NEFT सहायता प्राप्त है, RTGS/NEFT अथवा दोनों	NEFT
(छ)	खाताधारी का नाम व पता	कुलसचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी-284128 (उत्तर प्रदेश)

₹ 1,90,000/- (रुपये एक लाख नव्वे हजार मात्र) प्राप्त हुए, जो राशि अनुदान स्वीकृति मि0सं015-5/2014(राजभाषा) दिनांक ....जून, 2015 द्वारा कुलसचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी-284128 (उत्तर प्रदेश) को भुगतान हेतु स्वीकृत की गई है। प्रमाणित किया जाता है अनुदान की समस्त शर्तें आयोग प्राप्तकर्ता द्वारा मान ली गई है। आवश्यक प्रविष्टियां सहायता अनुदान (जी.आई.ए.) रजिस्टर में कर दी गई है।

आर. श्रीनिवासन

रुकमणी श्रीनिवासन/Rukmani Srinivasan
अवर सचिव/Under Secretary
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
अधिकारिक संलग्न/सहित हस्ताक्षर
Min. of Human Resource Development
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi-110002